

~~ज्यायामप लखवाड ज्यायाकाशी अणु विमा गज-15 गुम-२१६~~

~~पीडा पान - हेमन्त गुमा अक्ष अचवतर ज्यापिकवेवा~~

~~लखवाड सं. 29/15~~

- ~~1- कुशीम देव पंजी स्व. लखवराज सिंह~~
  - ~~2- हेमन्तराज नागर हसोरीत पुत्र लखवराज सिंह~~
- ~~निवाण सं. नं. 400 विवेक मिश्र~~  
~~विशाल सिनेमा के वरावर अना आम~~  
~~गुम-२१६ अक्ष - गुम-२१६~~

~~(अचिवत्ता सं- आरंभ बेवम)~~  
~~वनाम~~

- ~~1- वीरू व अकन लुगार पुत्र स्व. मुकेशोत्तम दास~~
- ~~अश्वीक निवाण म्हे वीरू मोरस अना~~  
~~- आम - सोलान ये होम पप के लागे~~  
~~गुम-२१६ अक्ष - गुम-२१६~~  
~~(अचिवत्ता सं- आरंभ बेवम)~~

- ~~2- मोर आषाड पुत्र ज्याय मोहरमद दास गुमान~~
- ~~हिमालय देवास गहिर विविक्त मिश्र~~  
~~दोप कोरिपेल के लागे अना आम~~  
~~गुम-२१६ अक्ष - गुम-२१६~~  
~~निवाण पुरान रहवीक के पास सिंह~~  
~~दनीका मेरिल, पानी म्हे देव के लागे~~  
~~अपुर् मोर, गुम-२१६ अक्ष - गुम-२१६~~

~~शरिपाना 200~~

मिर्च

यह मधुवाड़ वाराणसी के बड़ा शिवाड़ी का  
विषय काय बंदवाम और वाजिक किराया में  
मोटा हेतु बाहरी किराया है -

वाद का म बाद कम रमा है कि

वाराणसी, वाद का में वारी दुमान के माकिहे  
शिवाड़ी सं. 1 का 3750 रुपये मय यह व  
समाज के प्रमाण में इस के कियेपेदा है  
अन्य किरायेदारों और मोलत लिंक 14-0-15  
कार समाज का में ही वाराणसी में किरा

र माके के विधि विषय तरीके में दुमान  
में अपकिरापेदा शिवाड़ी सं. 2 में दे दी है  
शिवाड़ी सं. 1 में लिंक नं. 1114 में मे इ  
किराया में रिया ही अरु सपान म  
आदि 13 सन् 1972 के साखान माज न  
को ही दमा 106 T. P. अल के मोलत में

किरापेदा विधानि दुमान में अपकिपपेदा  
म देने पर समाज में ही अरु मोलत म  
वकील मोता मोलत लिंक 14-0-15 में

शिवाड़ी सं. 1 पर कायवाम नामक अरु  
शिवाड़ी सं. 2 में नामक में को प  
लिंक नं. 1114 के साखान मरु अल सं

मसिपात सं-2 पर समीप 3000 अरु मोदीय  
 कोई गणक नवी विसा 1 इमान 20000 नदीय  
 मसिपात इमान 71250 मये वारिषा ही मोदीय  
 समीप खेते के 42-चा 8 जी इलेमान 20000  
 मते के आचिमाप ही वारे म वारिषा  
 025. ने खोनाचिमाप में उपरान इमान 3000  
 1000 या पूरपोमत विसिप सारि वारिषा  
 अत्रोप के आ-हा पर इमान 116250  
 कपये का 0250 अरु अरु विसिप याचन  
 म ही म सारि वारिषा से विसिप इमान  
 या मरुता विसिप मय क वारिषा विसिप  
 सारि 8 जी इलेमान म उदान विसिप  
 मय

उपरोक्त अमिक-वय अपभण्ड से  
 वारिषा ही मेवरे 02 से मोदी 14-0-15  
 सारि वारिषा 22-0-15 मय  
 सारि वारिषा वारिषा म ही मेवरे  
 0501 से मय वारिषा मय वारिषा  
 मेवरे 13201 से मय वारिषा मय  
 वारिषा सं-706/15 मोड आवाप मेवरे 13001  
 से मय वारिषा मय 3000/16 व वारिषा  
 मय 4-11-15 मेवरे 5601 से मय वारिषा  
 मय मय वारिषा 706/15 मय वारिषा वारिषा  
 7001 7001 7001 7001 वारिषा मय

4

~~वर्ष 2007 में और से मौखिक कार्य में PM,  
के लिये से वर्ष 2007-08 स्वयं सहायता~~

~~संविधान सं. 2 ने संविधान पर 18 अ 1~~

~~वर्ष 2007 में और वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~मौखिक 1 वर्ष 2007 में और वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में और वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~विशेष रूप से वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~हड़पने में और वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~विशेष रूप से वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~से वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 1996 से वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~संविधान सं. 1 के वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~1990-91 से वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~विशेष रूप से वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~वर्ष 2007 में वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

~~संविधान सं. 2 के वर्ष 2007 में वर्ष 2~~

यु आदिना है और यह कानून प्रविष्टि...  
पति न आदिना है। बात यथावत...  
बाल के न न आदिना है। बात मिल...  
नाम)

असोज आदिना के समर्थन प्रमाण...  
पु मिस है और मिस मारिन 15ct से...  
मोटे copy telephone bills 11.1.2001 से 2002...  
2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 15...  
न मोदी 3345, बुकिंग मिस 25.7.15...  
न वरुण मिस, बिना सिविल 200

मिस मिस I A I T R व अन्य दालिना...  
मेडिकल 88ct से मिस मिस 206/15, मिस 249.17 असल...  
रेकॉर्ड 2.7.02, 3.11.2, 5.6.3, 3.11.11, 4.1.99, 6.5.99, मिस 206/15/6

मोदी 880

मिस सं. 1 ने मिस वरुण 180A...  
वरुण मिस वरुण के आदिना...  
मिस मिस मिस कि यह कानून के...  
मिस मिस है और 1.1.14 से मिस...  
असल मिस मिस मिस मिस मिस...  
कानून, मिस मिस मिस के मिस...  
मिस मिस मिस मिस मिस मिस...  
मिस मिस मिस सं. 1 के मिस...  
मिस मिस मिस मिस मिस मिस

~~असेवे असेव्या बाने के नाने अस्वामि सं 2~~  
~~के आचार में साक्षात् किन्वा तय~~  
~~का हे वल चमत् 1 सन् 1990-91 में~~  
~~अस्य दुमान अस्वामि के सन् 1995~~  
~~में के दुमान अस्वामि के अस्वामि के साने~~  
~~बाने अस्वामि पर के अस्वामि अस्वामि~~  
~~के अस्वामि अस्वामि सं - 2 पर के~~  
~~वडे असेवे अस्वामि अस्वामि अस्वामि~~  
~~अस्वामि अस्वामि अस्वामि अस्वामि~~  
~~अस्वामि सं - 2 के अस्वामि अस्वामि~~  
~~अस्वामि 1. 1. 14 के अस्वामि अस्वामि~~

~~दिनि 20. 1. 16 के पूर्व के अस्वामि~~

- ~~अस्वामि के अस्वामि अस्वामि अस्वामि~~
- 1. ~~अस्वामि अस्वामि के अस्वामि अस्वामि के अस्वामि~~
- 2. ~~अस्वामि अस्वामि अस्वामि अस्वामि अस्वामि~~
- 3. ~~अस्वामि अस्वामि सं 1 के अस्वामि अस्वामि~~
- 4. ~~अस्वामि अस्वामि सं 2 (adverse possession) के अस्वामि अस्वामि~~
- 5. ~~अस्वामि अस्वामि के अस्वामि अस्वामि~~
- 6. ~~अस्वामि अस्वामि के अस्वामि अस्वामि~~

~~परामर्शों के बिना अधिकारियों ने अपनी 2~~  
~~कहल में है और मालिक कहल में वास्तविक में है -~~  
~~वास्तविक में कहल में कहा कि प्रतिकार सं. 2 में~~  
~~कहा - वास्तविक को कौन मालिक कानून में माना है~~  
~~और नून वर में आवाहन अत्रोप कला लालि~~

~~बिज ए) A.C.R 2013(99) Page 254, A.C.R 2013(99)~~  
~~Page 296 में सहजि में श्रेष्ठ कार्य माना है)~~

~~प्रतिकार सं. 2 में और में कहल में कहा कि~~  
~~MIS लाई में परिभाषा यथा प्रावधान अधि 13, 14,~~  
~~1972 के प्रावधान लागू नहीं किये हैं नरहाल~~  
~~वास्तविक उक्त के अत्रोप मालिक नहीं माने गए~~  
~~कारण केवल 15 T. P. Act में पदों में~~

~~लिखित है) PW1 ने लेखालि काय 1986 में~~  
~~उक्त पदों पर देना माना है कल्प में कल्प~~  
~~है विवाह केपनि मालिक और कल्प मालिक~~

~~और खानाप अलाचिमडि में नरहाल वर~~  
~~सं. 1 ने विभाषा है इसलिये लाल में~~  
~~विवाद में किपि न लाल सं. 2 में कल्प~~

~~के कारन वास्तव में नरहाल कल्प कल्प~~  
~~कानून नरहाल है विधि केवल 15 अधि~~  
~~100) के वास्तविक है मालिक कानून नरहाल~~  
~~में लाल है अत्रोपकेला मालिक नरहाल~~

9

~~बसा है) की लाने = व कु लक मि मिक के 1 ने~~  
~~अपिपेदा) व मी. से-2 मे हुमा न के कोरेव~~  
~~अवेच है चयन 113 के कोले लीकेन अचिपप हन अके~~  
~~किपेदा) मीके के मी) म कानि-व वप मी) व~~  
~~अचिपप वय वय. से-दी है) वम वर में~~  
~~मि मिपी विचिक अ-प मिहिन-व वर है)~~  
~~वह परामे व आकड नर है) वव मीर~~  
~~किप मय)~~

~~परामे को अत व वय. व मय~~  
~~परामे मिप) वी) म वुवद मीमो)~~  
~~अवेच ~~अव~~ CPC के मकथान आकड नर कोरे~~  
~~वय Point of Determination वीम वय)~~  
~~वके के मिचि) वय है) वी) वी) वी)~~  
~~में वियन 20.1.16 में मि-ड वीमो वी) वय)~~  
~~अत: उके मि-डो वय परामे व वियन~~  
~~अचिपपवय) के वीम उके वी) मय मिचिक~~  
~~वय में वय में 2 वय वीचिक मि-डो~~  
~~वय 1, 2 के व व के वीमो) व~~  
~~अवय) के वय वय मि-ड वीमो) वी)~~



9

~~अवधारणा हेतु निम्न लिखित कि-द निराचि-र किये जाने है-~~

1- क्या वादीशरण विवादि-र पुमान-र शैला कि वाद-पत्र में वर्णित है, मानिक-र है ?

2- क्या वादीशरण और प्रविवादी सं. 1 के बीच मकानदार और निरापेदार के संबंध है और प्रविवादी सं. 2, प्रविवादी सं. 1 का मिश्रण उप निरापेदार है ? यदि हाँ तो प्रभाव ?

3- क्या वादीशरण प्रविवादी सं. 2 से विवादि-र पुमान-र का शैला दलपत्र पाने का अधिकारी है ?

4- क्या वादीशरण को वादहेतु प्राप्त है ?

5- क्या दावा वादीशरण को वाद-र अनुवादि-र का शैलाधिकार है न-र क्या-र को है ?

6- वादीशरण किस उपशाम को पाने के अधिकारी है ?

विचारणा सिद्ध सं. 1 यह कि-० इस आशय का

विचार है कि क्या वादीगण विचारित पुमान के

मात्रिक है। यद्यपि इस शास्त्र के स्वतन्त्र

तय करने के लिये महावाङ्मय आशय

नहीं होता है बल्कि वादीगण के अमिवचन व

प्रतिवादी सं. 1 के अमिवचनों से इस शास्त्र

के प्रश्न करने और उनका उत्तर करने

की आवश्यकता नहीं है अमिवचनों में

संस्कृतिकी की दृष्टि में अपेक्षित सङ्ग

की आवश्यकता नहीं रहती है वादी के

वाक्य में दृष्टा 1 में स्वयं को मात्रिक

विचारित पुमान का अमिवचन है किसे

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने प्रतिवादि पर न

दृष्टा 1 में स्वतन्त्र रूपसे किया है

उत्तरे अचिन्त स्वतन्त्र वाक्य में दृष्टा

2 व प्रतिवादि पर न दृष्टा- 2 में

मिलती है तब कथ और मता रूपसे

कि विचारित पुमान अथवा 1986 से है

और महावाङ्मय डिप्टारि मु. 3750 मध्ये

~~परन्तु अपरोक्त धारा 21 अन्वये के~~  
~~विपरीत प्रविष्टि से 2 ने स्वयं ही~~  
~~इसका दो से इस प्रश्न के पूर्व में जाने~~  
~~का आक्षेप सिद्ध करना है कि वय वारदात~~  
~~को वाक माने की आधिकारिक धारा है~~  
~~इस दावे माने की आधिकारिक की~~  
~~परन्तु हेतु इस प्रकार न प्रश्न विचारित~~  
~~है~~

Order 1 Rule 1 - All persons may be joined in one suit as plaintiffs where

(a) any right to relief in respect of or arising out of, the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist in such persons, whether jointly, severally or in the alternative and

(b) if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise.

~~अपरोक्त से दावा माने की आधिकारिक~~  
~~धारा धारा है जो कि अपरोक्त के~~

के लिये अधिकार होता है) उक्त अधिकार  
 अनुभव का सेव्यवहार पर निर्भर करता है।  
 प्रकृत मामले में देखा जाए तो वारीडाण  
 ने विवाहिन संपत्ति (दुकान) अपने स्वयं  
 का बनाई है जो अगले पूर्वज के प्राण है।  
 जिस पर विवाहिन वारीडाण ने पूर्वज के  
 धन्य के चर्चा आ रही है) उक्त संपत्ति  
 को खोहरी के लक्ष्य लक्ष्य किया है।  
 वारीडाण आपस में माना और मुक्त है।  
 PW, ने अपने कथान में का कह कि  
 पीर ने दुकान किराये पर लिया जो अप्रेम  
 86 में किराये पर ली थी 22 इलेक्ट्रिकल  
 प्रकरण संपत्ति पत्र का कह है। इनका  
 नही, कुशलता से से गीत वसुध  
 संपत्ति का गणना है परिवार ने प्रकरण  
 वसुध का Photo copy कागज सं 170/3  
 का वाकिफ न है वारी सं. 1 कुशलता  
 का प्रकृत नही कुल है। तब इतना  
 को ही आपस विवाद लक्ष्य का वारीडाण  
 ने पारितो के मध्य नहीं है।

तब यह संपत्ति (मिस्त्राल) प्रकृत  
 रूप में प्रदान नहीं होती है तब  
 व्यक्ति विधि के आधार पर प्रत्येक  
 वारिस का समान हिस्सा है और यह  
 संपत्ति रूप में प्रदान है तब  
 संपत्ति को प्रकृत (मिस्त्राल) अर्थात्  
 से निकालने करने का एक स्वरूप है  
 परन्तु यह सब सिद्ध नहीं है तब  
 प्रकृत संपत्ति देने के लिए प्रकृत  
 (मिस्त्राल) के पर्याप्त वादावली एवं शर्तों  
 हस्तक्षेप देने ही तब यह कथन कि  
 अन्य परंपरा पराकार नहीं है तो यह  
 तब अनुचित है क्योंकि किलापेदा  
 विवाद में प्रत्येक स्तर के धारक को  
 पराकार देने आवश्यक नहीं होता है  
 यहाँ की सिद्धि है कि शिवाजी सं. 1 का  
 स्वरूप संबंध में माना है कि शिवाजी  
 सं. 2 ने अपना अधिकार शिवाजी  
 को के आधार पर दिया है  
 तथा शिवाजी ने यह है कि शिवाजी

धर्म के लक्ष्य परामर्श अथवा  
 परामर्श प्राप्त करना यह ही धर्म  
 के लक्ष्य पर अथवा  
 आधिकारिक विना रोक रोक के अथवा के  
 आधार पर नहीं हो सकेगा  
 मामलों में ऐसी नई नियमों को  
 ही कि वादी को से दावा माने न  
 आधिकारिक विना विधि या तदनु  
 प्रवर्ति के ही

2005(2) ARC 503 Mohanlal V

DT Thandi para 5 P A suit for  
 eviction of a tenant can be filed by  
 only one landlord without even imple-  
 ading other co-landlords as proforma  
 respondents. On this point in my judgment  
 reported in Gulab Chand Verma V Badri  
 Masain Mishra 2004(2) ARC 462. I have  
 placed reliance upon six SC authorities  
 The latest being AIR/2004 SC 1321, 2004 SC  
 F 1321 V/ India Umbrella Manufacturing  
 Co. & others V Bhagabandei Agrwala & others

धर्म अथवा के लक्ष्य पर  
 अथवा ही कि दावा माने न आधिकारिक

वादीगणों को प्राप्त है इस सम्प्रदाय के  
 के विवाहों में लंपानों के माहिरों में है।  
 प्रविष्टों सं. 2 के क्षेत्रों में इस  
 सिद्ध पर इनका स्वरूप करना है कि  
 वह वादीगणों के स्वरूप में सम्प्रदाय  
 नकारते हैं लेकिन वे कदाचिन् नहीं  
 कि वादीगणों का स्वरूप लंपानों में  
 न के और अने प्रविष्टों के विषय  
 दावा माने कि आधिकारिक नहीं है।  
 अतः यह सिद्ध वादीगणों के क्षेत्रों  
 में स्वरूप लंपानों के विषय कि प्र  
 गण है और प्रविष्टों के विषय  
 नकार लंपानों के विषय कि प्र गण है।

निस्कारण सिद्ध सं. 2 यह सिद्ध इस आशय  
 का विचार है कि क्या वादीगणों और प्रविष्टों सं. 1  
 के गण्य महामदार और निरीपेदार के क्षेत्र हैं  
 तथा प्रविष्टों सं. 2, प्रवि. सं. (1) का अधिकारी  
 निरीपेदार है -

यह अतिवचन से स्वरूप है कि  
 वादीगणों और प्रविष्टों सं. 1 के बीच महामदार

~~और किरायेदार के बीच है किंग्डम सं. 1~~  
~~के नियमों में न स्पष्ट और साक्षि~~  
~~माना जा चुका है जो गलत है दर है~~  
~~3750/- मय शुरू और अंत है यह~~  
~~तय यह पि वार्डों के अभिवचन में नहीं है~~  
~~कि यह किरायेदार किससे और किस सन~~  
~~या नारीय से शुरू की है वार्डों अपने~~  
~~डिमांड नोटिस भाग सं. 301 से न स्पष्ट~~  
~~नहीं करते हैं यह सही है कि किराया~~  
~~रखा है 69A-1, 70-A1 काविक न है पर~~  
~~उमें उम तय न उल्लेख नहीं है~~  
~~इसे विपरीत प्रिवी सं. 1 ने प्रिवी~~  
~~का दमा-3 में किरायेदार अप्रैल सन 1986~~  
~~से शुरू कर (1) और कर देवान~~  
~~का विगनेस करना कहा है यह तय~~  
~~अनिश्चित है कबने के तो वार्डों~~  
~~के कथन का खण्डन नहीं है फिर~~  
~~इन तयों के साक्षि करना अपेक्षित~~  
~~नहीं रहे गीना है सवक खण्डन न किना~~



न कि या गाप) यह साकि करने का निपक है  
 कि नवीन न 2 यो को लाकि करने का भार  
 प्रविदा पर गाकी है जो उसको कह कर  
 आपा है प्रविदा पर 18A-1 के से से  
 वारी के टोके को स्वीकार करने वाला  
 अभिवचन है। अरेम 8 निपम 5 एपल के  
 अन्तर्गत प्रविदा सं. 1 के द्वारा प्रत्येक  
 अभिवचन को स्वीकार अभिवचन के नीचे 12  
 देखा जा सकता है। इस प्रत्येक प्रविदा  
 सं. 1 से कोई अनिश्चित लक्षण अपेक्षा  
 किने किना अभिवचनों के पर प्रत्येक स्थिति  
 के आधार पर साकि लेना है कि  
 वारीगत और प्रविदा सं. 1 के प्रत्येक  
 मकानदार और निरीक्षक के बीच है।  
 इसके अलावा महत्वपूर्ण उप ध्यान  
 है कि प्रविदा सं. 2, प्रविदा सं. 1  
 का उपनिरीक्षक है।  
 इसका स्पष्ट है कि वारीगत प्रवि.  
 सं. 2 को अपना निरीक्षण नहीं स्वीकार

करो है तथा परिवार सं. 2, वारी गाँव को मकानदार नहीं माना है वारिस स्वयं को प्रतिकूल करने के आधार पर मकान का मासिक स्वयंसेवा बीमा किया है इन दोनों के नाम के इकाई में परिवार सं. 1 विवाह अनुदान का डिपेंडेंसी माना है और कार्ड देवराज का व्यवसाय उद्योग अनुदान से सन् 1986 से शुरू किया है तथा परिवार सं. 2 का दम्पति में परिवार सं. 2 से अपने व्यवसायिक रिश्ते और साझेदार बनाया है डिपेंडेंसी का मासिक परिवार सं. 2 पर आया है

परिवार सं. 2 ने अपने परिवार पर 16A-1 में वारी गाँव को विवाह अनुदान का मासिक मानने से इकाई किया और कहा कि परिवार सं. 1 के लक्ष्य में अनुदान नहीं था वारिस अपने परिवार सं. 1 के साथ गौरीपुर में कार्ड देवराज का व्यवसाय

वर्ष 1987 से कार देवराज को 1996 से  
 हिमाचल देवराज का नाम वह अमेना कर  
 नाम आ रहा है किराया का जो ई मार  
 प्रतिका सं. 1 ने प्रतिका सं. 2 पर कार्य  
 को देने का नवी दिया था पैसा 19  
 में मोटा खराब हुआ और कथ कि  
 वारीगण की मौत स्वच्छि 20 वर्ष से अधिक  
 से जाने पर वह माजिग बे गण किराया  
 नामा नही है खराब के कारण सब  
 0. 2 786/2015 मो. आवाद वनाम प्रमाण  
 लैकिन है

प्रतिका के अमिक्थने से यह  
 खराब बेग है कि किराया दुमान  
 से मार वारीगण की है प्रतिका सं 1  
 से व्यवसाय साझेदारी बना है  
 किराया नामा नही है और मूल वाद  
 सं. 786/15 लैकिन है

क्योंकि मूल वाद 786/15 को  
 खराब से मार वारीगण से विवाद है  
 उल्लेख अमेना कर से आप र 22  
 अपेक्षित नही रहे है कि मार, किराया लीक  
 लन से मार किराया में किराया खराब

से विवाहिन व्यपनि पर महंग प्रिय  
 विप) व्यपनि विन कामन की यी  
 रूप) उसके कारनविद मासिक ने कम  
 मेई गान्धिवुर्त अहवासन में दलवण  
 विप) ही यह की विपनि नवई  
 कि कम को ई विप) न्यायिक प्रक्रिया में  
 प्रतिकूल करने की प्रक्रिया मानकर  
 अंतिम हुआ हो।

प्रक्रिया सं. 1 अथवा प्रक्रिया सं. 2  
 ने 'कादू देवलय' या 'हिमालय देवलय'  
 की नाम प्रवि वासिक नवी की है।  
 प्रवि-वैके धरि 100 से आय प्रक्रिया कर निष्का(0)  
 वासिक की है अगत से. 103 ए में सन् 1936  
 से 2001 का वार्षिक आय निष्का(0) है  
 क्रिमे भवन सं. 72, गौमम नं. 5 भवन स्वामी  
 में लेखरान सिंह हडकोकेट और गौमम नं-6  
 रहने वाले का नाम रमा विरापा वासि में आकाद  
 रवा गौमम 7 वार्षिक आय 19200 आंकि है।  
 कागत सं. 104 ए में वर्ष 2002 से 2007 में  
 उनी व्यपनि का मासिक सुअम्य रवा व/प  
 लेखरान सिंह, विद्यपका कर्त विद्यमे भी राशि  
 के गौमम में आकाद आंकि है कागत सं.

~~प्रपत्र में मासिक सुमीमा देवे श्री, लखनऊ~~  
~~सिद्ध और लखनऊ/अभिचारक में आकाद~~

~~इस निष्पत्ति प्रपत्र सं. 101 ए-1 व 102-ए~~

~~श्री वर्ष 1980 से 85 व 1986 से 91 तक~~

~~में अभिचारक के नाम में कोई नाम~~

~~वीर अथवा आकाद का नहीं अस्ति है~~

~~सबसे शीघ्र सं. 106 ए व 107 ए-2 को~~

~~किराया रखें है तबसे 31.2.001 व 11.8.2002~~

~~किराया वीर है और रखें देने काय~~

~~सुमीमा देवे के विभाग किण्व अगस्त सं. 108~~

~~ए से वर्ष 2008 का है और अन्य किण्व~~

~~109 ए-1, 110 ए, 111 ए-1, 112 ए, 113 ए से~~

~~120 ए लखनऊ के नाम ले है~~

~~इस प्रपत्रों में मासिक अथवा साधन~~

~~के साधन नहीं बरतता गया है फिर भी~~

~~इसमें यह रखा किण्व जाय कि यह~~

~~मौक दरवाजे की श्रेणी में आने के कारण~~

~~तक के लिये मासिक वीर रखा है~~

~~तब किण्व किण्व से संयोजित व परधान~~

~~रखा किण्व नहीं बरतता है किण्व में व 22~~

~~नहीं अभिचारक का अथवा अभिचारक~~

में है जिसमें यह कथ गाय वे ति

प्रमाण संपादि में विद्युत् संयोग संख्या

कोई है जिसमें गीत वृत्त साहित्य विषय

मा संके। इतका (७) से उक्त संख्या में

अभिवचन में विद्युत् वृत्त के किया है

वह संख्या का अन्वय साहित्य का

दनी नहीं रखते हैं।

दूसरा तो कर निष्पत्ति प्रपञ्च

वाचक किसे गये है उनसे और यद्यपि

विद्युत् विषय में लिखि नहीं माने गये हैं।

वह संख्या अभिलेख के नीचे पर

ग्राह्य नहीं होते हैं यह पूर्व में

निर्वाह सिद्धांत चला कर रहे हैं।

फिर भी शिवा के संकेत में

अन्वय प्रकार से देवा गाय लो

वाचक संपादि के संख्या आचिका के

संख्या में कोई फेर कदम नहीं है

वाचक संख्या सहित उनके परमाणु अंश

मूल प्रमाण देवा है नव आभित्या (७)

रहने वाले विषय साहित्य के संख्या का

अभिवचन है जो उसमें आकार का नाम है।

परन्तु ~~है~~ ~~लिपि~~ ~~में~~ ~~अक्षर~~ ~~स्वर~~ ~~के~~  
~~निमित्त~~ ~~नहीं~~ ~~है~~ ~~लेखा~~ ~~मदति~~ ~~नहीं~~ ~~है~~  
~~कि~~ ~~लेखा~~ ~~या~~ ~~प्रमाण~~ ~~वाले~~ ~~कॉलम~~ ~~में~~  
~~उन्के~~ ~~नाम~~ ~~काटकर~~ ~~आकार~~ ~~या~~ ~~अथ~~  
~~का~~ ~~नाम~~ ~~अक्षर~~ ~~लिपि~~ ~~राज~~ ~~के~~ ~~इलका~~  
~~में~~ ~~अक्षर~~ ~~सं. 2~~ ~~का~~ ~~दिए~~ ~~मालिक~~ ~~का~~  
~~स्थान~~ ~~नहीं~~ ~~रखना~~ ~~है~~)

~~दिलपेटा~~ ~~अथवा~~ ~~के~~ ~~साथ~~ ~~है~~  
~~दिलपेटा~~ ~~निर्देश~~ ~~रखा~~ ~~होना~~ ~~है~~  
~~पक्ष~~ ~~में~~ ~~नहीं~~ ~~आता~~ ~~है~~ ~~दिलपेटा~~ ~~रखा~~ ~~है~~  
~~1060~~ ~~व~~ ~~1070~~ ~~में~~ ~~दिलपेटा~~ ~~वी~~ ~~है~~  
~~में~~ ~~अथवा~~ ~~व~~ ~~2000~~ ~~व~~ ~~2002~~ ~~में~~ ~~है~~ ~~में~~  
~~अक्षर~~ ~~सं. 2~~ ~~के~~ ~~अक्षर~~ ~~के~~ ~~वर्ष~~ ~~में~~ ~~है~~  
~~और~~ ~~वर्ष~~ ~~में~~ ~~दिलपेटा~~ ~~अथवा~~  
~~के~~ ~~पक्ष~~ ~~में~~ ~~दिलपेटा~~ ~~रखा~~ ~~है~~ ~~69A~~ ~~व~~ ~~70A~~  
~~वर्ष~~ ~~में~~ ~~है~~ ~~में~~ ~~व~~ ~~2002~~ ~~में~~ ~~है~~  
~~अक्षर~~ ~~सं. 1~~ ~~रखा~~ ~~है~~ ~~में~~ ~~कर~~ ~~है~~  
~~कि~~ ~~वह~~ ~~के~~ ~~वर्ष~~ ~~में~~ ~~दिलपेटा~~ ~~है~~  
~~कि~~ ~~वह~~ ~~के~~ ~~मिन्तक~~ ~~में~~ ~~है~~ ~~का~~ ~~वर्ष~~  
~~अक्षर~~ ~~सं. 2~~ ~~के~~ ~~वर्ष~~ ~~में~~ ~~के~~ ~~दिलपेटा~~

रसीद नही है। उक्त मे रसीद  
 नही है। वादीगण ने सापेक्ष वादीगण नही  
 और न प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने प्रत्यु  
 नही है। तब उक्त मे रसीद वही प्रमाण  
 कि लपेटा कि अद्यावत नही है।  
 प्रतिवादी सं. (1) नही कि रिपय रसीद  
 प्रतिवादी सं. 2 ने अपने से वादीगण  
 करने पर यह प्रतिफल लपेटे कि लपेटे  
 कि रिपय कि वादीगण कि लपेटा प्रतिवादी  
 सं. 1 ही है।

तब तक उसे अपना वादीगण  
 ही तो पहले वह (प्रतिवादी सं. 2) रूप  
 अतिवचन करते आए कि उक्त प्रतिवादी  
 उक्त के से सापेक्ष नही यह वह  
 रूप अतिवचन करते नही आए  
 कि रिपय (1) प्रमाण अतिवचन रूप व प्रमाण  
 उक्त नही वे ही इजे अतिवचन  
 तब कि रिपय कि लपेटा पर वह अपना  
 वादीगण कि अद्यावत मानता है वह  
 प्रमाण व प्रमाण सं. 7 व 8 ही है।



~~मूल्य वार्षिक न प्री, कान  
 आगिनयन, निर्णय एवं रूप को  
 मूल्य को है और अन्याय को  
 वास्तविक विषय है वार्षिक न और से  
 मेरिटिंग 500 लगे बिना निर्णय 706/15  
 न समझे भी मेरिटिंग 1320 से  
 लगे बिना समझे भी मुख्य पक्ष न  
 त्रिह वास्तविक न है~~

~~शिवाय सं. 2 न और से गणित  
 1001 से पेट, 17K व टेलीमोन विषय न प्री  
 वास्तविक न है शिवाय सं. 1602 मूल्य व 706/15  
 के दावे न प्री व शिवाय सं. 2302 पक्ष  
 मिय लम न का हेराल्ड का Form 1 न  
 वास्तविक विषय है अन्य विषय आमत प्री व  
 टेलीमोन विषय है इससे वार्षिक न लगे  
 देना और माना न लगे है प्री  
 मूल्य व 706/15 का विषय इ-ए परामर्श  
 के संबंध में है तथा इस मामले में  
 अनिम निर्णय न हुआ है धारा 33  
 साथ साथ 1072 के अन्तर्गत पर्याप्त न~~

~~तब दूध का सं. 706/15 में पाणि निर्णय  
 अगस्त सं. 58 570 पर आकाश का है  
 और उलगा निर्णय पर-चानवर्ग मापका  
 व्यापक पर निर-धारा मनु निर्णय का प्रमाण  
 रखना ही वि-दु सं. 1 विशेष रूप से  
 वार्ड (प्रतिवादी सं. 2) के शक्ति मन्त्रों  
 को लेकर बनाया गया उक्त वि-दु म  
 निर्णय साथ और विषय के पुन-पुन  
 विवेचन पर नकारात्मक रूप से वार्ड  
 (प्रतिवादी सं. 2) के विरुद्ध निर-धारा  
 किया गया अंतिम निर्णय में भी पाण  
 नि वार्ड (प्रति सं. 2) आकाश शक्ति मन्त्रों  
 के आधार पर मालिक का कि न ही है  
 व आरेख में वार्ड (प्रति सं. 2) आकाश  
 का दावा 706/15 निर-धारा कर दिया  
 गया उक्त निर्णय व आकाश अंतिम है  
 इसका पुन-पुन खोजने में सं  
 शक प्रतिवादी सं. 2 शक्ति मन्त्रों के  
 दावे का आचरण न हो पाया गया  
 ना उलगा निर्णय निर्णय~~

~~कदाचिन् किञ्चिद् न ली ही श्री प्रिवाण सं- 1~~  
~~के अभिवचन औ परिवार सं- 2 के अन्त~~  
~~वास्वेल्य पाटनरिप के प्रपुत्र का संयोग~~  
~~देवा नाम के वारीशत या उनके पूर्वज~~  
~~लेखराज सिंह ने जो ई खपति करी~~  
~~किलापेदार प्रिवाण सं- 2 से नथ ली है~~  
~~काकी का देवल लाम में प्रिवाण सं- 2~~  
~~प्रिवाण सं- 1 के साथ साझेदार~~  
~~केना उनके साथ स्वतः साझे केवा है~~  
~~औ साझेदार को किला किलाप डिप~~  
~~खपति का स्वीकृत कला केनाये लखने~~  
~~का आधिकार न ली ही प्रिवाण सं- 1~~  
~~ने किलाप के प्रिवाण सं- 2 को उलकी थी~~  
~~कह प्रिवाण सं- 2 पर उलकी थी~~  
~~औ प्रिवाण सं- 2 ने स्वीकृत रूप~~  
~~के किलाप देना कर कर दिया उनके~~  
~~अभिवचन को स्वीकृतः केना है~~  
~~जो उलकी है औ उपकिलापेदार में~~  
~~पूर्व रूपेण माय करी है~~  
~~अनः यह किन्तु वारीशत के पक्ष में~~  
~~नकारात्मक रूप से प्रिवाण सं- 1 के पक्ष में~~

निकला ०१ वि. सं. ३ यह किंतु इस आधार का  
विवक्षित है कि क्या वादीगण १ परिवार सं. २ से  
प्रसंग दुकान का कब्जा पाने के आधिकारी है

यह प्रश्न की प्रवृत्ति इस आधार पर  
है कि वादीगण अपनी पैदा लंपरि विवादि दुकान  
को कबाने है उसका प्रमाणिक (०) गीर-अभिकलन  
और अन्य प्रपत्रों क कमान से बेना है।  
वही पर परिवार सं. २ प्रयुक्त वीर पर  
आधार लेना है कि विवादि दुकान पर उसका  
कब्जा और व्यवसाय असा २० वर्ष से  
आधिक से चला आ रहा है और वह  
कोई किराया बिली को नहीं देना है।  
तथा उसने मूल वाद सं. ७०६/१५ भी अपने  
स्वतंत्र आधिकार का किया है।

इस प्रसंग में स्वीकृत विधि-विधि है  
कि स्वतंत्र सेवक विवाद का संज्ञान हेतु  
लघुवाद न्याय सक्षम नहीं बना है तब स्वतंत्र  
के वचन की स्वतंत्र संघर्ष नहीं है।  
तब मूल वाद सं. ७०६/१५ के रहने इसका  
यह न्याय बिली प्रमाण का मिलन नहीं दे  
सकता है परिवार सं. १ अपने को वास्तविक  
किरायेदार और रि. सं. २ को अपने साझेदार

कानून है और विधायक अथवा विधायक  
 प्रक्रिया सं-2 पर समझ दी प्रक्रिया सं-1 के  
 के साझेदार होने में पुराना सिद्ध प्रक्रिया  
 सं-2 की और वे वास्तविक पारितंत्र प्रक्रिया  
 1 से वे जानती हैं

पूरा वर में देखें आमतौर पर,

विद्युत, रेसोनांस विद्युत और रासायनिक  
 यह कानून और प्रक्रिया में वास्तविक प्रक्रिया  
 में प्रक्रिया प्रक्रिया में यह प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया में प्रक्रिया प्रक्रिया में प्रक्रिया प्रक्रिया  
 प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

वैद्य पर मान्य और प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया  
 प्रक्रिया में Adverse possession प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया  
 प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

आधार प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया  
 प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया

पर ५ प्रतिकार सं- 2 ने अपने प्रतिकार  
 में इस प्रकार का लक्षण बना  
 इस, की मासिक कल है एक लक्षण  
 सं- 2 ने वही (सं- 2) में  
 मासिक नहीं माना है एक प्रयोग  
 इस मामले में उसमें कोई विशेषता  
 नहीं बनाई है इसका कारण दूसरा यह  
 है कि प्रतिकार सं- 2 यह एक  
 नहीं कर पाता है कि इसे प्रतिकार  
 संपन्न करने और फिर आधार पर  
 प्राप्त इसकी जो वह सिद्ध करने में  
 है उसमें 1907 से बना है यह कदाचित्  
 प्रतिकार बना करने में विशेष नहीं  
 बना है प्रयोग नहीं है कि  
 प्रयोग इस प्रकार पर ही और  
 उसमें किन्हीं सेवकों बना करने कि  
 से तथा इस दोषों उसमें कोई  
 हस्तक्षेप नहीं हुआ है यहाँ तो प्रतिकार  
 विपरीत है कि प्रतिकार सं- 2 अपने में  
 किसेदार और प्रतिकार सं- 2 में साक्ष्य  
 वाहक है यह मासिक का प्रतिकार

निष्पत्ति (1) में प्रकृतिक कर्म मानव द्वारा  
 मानव मेवसाय सिद्ध किए जाने प्रत्युक्त  
 प्रतीति में नान्य आदि उक्त वक्तु प्रति  
 4 - आकार में नाम कक्षा विद्या के लोकोपेक्ष  
 अथवा अलाचिन प्रकृतिक कर्म में आदिप्रति  
 नदी सिमाना ही देखायेन किम, आदि प्रेम  
 कोर एव वक्तु में प्रतीति (1) पर्याप्त नही  
 वेना है वक्तु उक्त नाम प्रमान में  
 उपोक्ति न मानव रक्तु रक्तु वेना ही  
 को नही है विद्या कर्म विद्या  
 में वेना ही वक्तु ही प्रतिनिधि  
 सं. 1 का अन्वित-वक्तु वक्तु के  
 अन्वित-वक्तु में रक्तु के वक्तु ही  
 प्रतीति सं. 2 को वेना प्रतीति  
 पाठनमीय सं. 3 को वक्तु वेना ही  
 का देववक्तु, प्रतीति सं. 1 ही ही  
 प्रतीति सं. 2 का अर्थ में वेना ही  
 विद्या को वक्तु वक्तु वक्तु ही ही  
 वक्तु ही ही वक्तु ही ही  
 प्रतीति सं. 1  
 को विद्या कर्म अर्थ में नाम में  
 एव वक्तु ही विद्या प्रतीति ही  
 वेना ही वक्तु वक्तु वक्तु वक्तु वक्तु वक्तु

~~दुमान की चौकड़ी में की रखी थी~~  
~~अभी तक PW, की भी है कलम 86C2~~  
~~में की रखी थी। अर्थात् 4-2 का~~  
~~मैंने कलम के अन्त में डीएम का~~  
~~DW, ने अपनी जांच में कहा कि 12 सितम्बर~~  
~~2013 को का बिना वकील के दिए इन्फॉर्म~~  
~~में दिए हैं लैंग्विज में की रखी~~  
~~में के अन्त में मेरे बिना नाम नहीं~~  
~~पेज सं. 4<sup>0</sup> वाले पृष्ठ 786/15 के बाद की 2013~~  
~~में यह बात लक्षित है कि बिना नाम~~  
~~की भाषित अर्थात् रवींद्र कपूर के अन्त में~~  
~~बिना नाम का बिना दुमान का भी कपूर~~  
~~कपूर के अन्त में मेरे पार्टनरशिप की सं. 1990~~  
~~के बाद से 23 वीं जन 2013 सितम्बर तक~~  
~~मैंने बिना नाम दिए हैं। अर्थात् कौन के नाम~~  
~~का मेरे नाम नहीं था। मैंने अर्थात् में बिना~~  
~~इसलिए दिए कपूर के अन्त में बिना~~  
~~मेरे का पकले मरदान बिना मेरे के~~  
~~का मे अन्त में कपूर पुराना अर्थात् बिना~~  
~~मेरे का। अर्थात् नाम रजिस्टर्ड नहीं है~~  
~~कपूर का 786/15 की अर्थात् अर्थात् के नाम~~  
~~नाम के नाम से रजिस्टर्ड नहीं है।~~  
~~अर्थात् अर्थात् से से रहे~~



अपने आन्दोलन में लक्ष्य है उस  
 उच्च वादीयों के क्षेत्र में लक्ष्य  
 में सेवा ही उसमें अधिक महत्ता का  
 आद्य में नही रहा है जब  
 वह नही विपत्ति प्रभाव का  
 किलोमीटर रहा है और न उसे  
 किलोमीटर का है तथा न उसने  
 कोई किलोमीटर वादीयों में दिया है  
 उसमें अधिक महत्ता नही संकेत है  
 और न ही वास्तविक ही उसमें लक्ष्य  
 आद्य रूप में निर्यात अल्प क्षय  
 अल्प लक्ष्य और विपत्ति लक्ष्य से  
 अल्प लक्ष्य के लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य  
 अल्प लक्ष्य 1 न किलोमीटर पर अपने  
 में अल्प लक्ष्य का क्षेत्र है और  
 आद्य लक्ष्य है और नही लक्ष्य है  
 और न लक्ष्य है किलोमीटर न  
 वेना, किलोमीटर कोई न क्षेत्र लक्ष्य  
 लक्ष्य 1 के लक्ष्य अनुसंधान महत्ता न  
 लक्ष्य में वह विपत्ति प्रभाव लक्ष्य  
 लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य

कारिगारों को मान्यता देने के लिए

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

T.P. Act में Section 106 और 113

अनुच्छेद 19(2) और AIR 1971 SC 102

अनुच्छेद 19(2) में Section 113 T.P. Act

के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत

अनुच्छेद 19(2) के अन्तर्गत



मौखिक रूप से बताना कि) शिकायत

सं. 1 ने वादीगण का मोर्चा व विचार

वाक्य स्वीकार किया परन्तु तथा सं. 2 को

कि 'काइ डेवलय' के क्षेत्र में शिकायत

सं. 2 को आमंत्रित किया और उपर

विचार देने में विमोदाई समय से जमाना

सं. 2 को आपन में आया- 2 बीरत न

किया था शिकायत सं. 2 ने जो पूरा है

किया और शिकायत करने के आदेश

अपने को माफिक होने का दावा

किया।

इन मामलों में शिकायत सं. 2 को

नक मुद्दे विचारदाई जहाँ है और न है

जाती रही है और न अलग विचारदाई

का क्रम है वह मोर्चा में अलग

मुद्दे आपकी माफिक नक लेता है शिकायत

सं. 1 व शिकायत सं. 2 के बीच मुद्दे

का सेचकदार, वादीगण से पूर्ण रूप से

प्रकार है वादीगण का मोर्चा मोर्चा

विचारदाई समान करने का अधिकार शिकायत सं. 1 के संकेत में निर्दिष्ट है

~~पूरा वर से 706/15 के दिनांक 1 का~~

~~निष्ठा (0) अधिकांश से 2 के अधिकांश है।~~

~~परोक्ष रूप से प्रति मौखिक वारंट जारी~~

~~DW, ने किया कि वह निपटारा देने में~~

~~समर्थ है परन्तु वारंटिंग ने लिये से~~

~~इस (किया है) कोई भी कारण~~

~~रेगुलर सर्वेसिप्लर उसके नाम या कोई~~

~~मार्ग से नहीं है अधिकांश मार्ग~~

~~के मार्ग से 1 से अधिकांश से 1 व~~

~~अधिकांश से 2 के संबंध में अधिकांश~~

~~अधिकांश अधिकांश है।~~

रजिस्ट्रार 106 T.P. के नाम से

~~वाक्य मौखिक वारंटिंग इस से अधिकांश~~

~~परन्तु प्रति वारंटिंग ने अधिकांश से 1~~

~~के अधिकांश से अधिकांश अधिकांश~~

~~अधिकांश से अधिकांश अधिकांश अधिकांश~~

~~अधिकांश से अधिकांश अधिकांश अधिकांश~~

~~अधिकांश से अधिकांश अधिकांश अधिकांश~~

~~अधिकांश से अधिकांश अधिकांश अधिकांश~~

~~अधिकांश से अधिकांश अधिकांश अधिकांश~~

~~भाषित विधयेकात् न अपि एतत्~~

तथा ~~Section 108 T P Act (b) proviso~~ Nothing in this clause shall be deemed to authorise a tenant having an untransferrable right of occupancy, ~~but sec (1)~~ the lessee is bound to pay or tender at the proper time and place, the premium or rent to the lessor or his agent in the behalf.

~~अधिकात् स. 2 ने अनुप विधाते~~

~~इस म न कान् भाषित भाग म~~

~~एतत् कि अधिकात् स. 1 कान्~~

~~इस म कान् कान् ए विधाते~~

~~अत नने से कान् कि स. 1~~

~~इस से अधिकात् स. 2 म~~

~~अधिकान् यत् मन्ने म~~

~~भाषित कान् म म ए कान्~~

~~अत यो पेठ भाषित अत कान्~~

~~म ए ए अनु ए नान् म~~

~~अतः अतः अधिकात् म ए~~

~~अत ए अत 113 T P Act~~

1) अथवा विषय पत्र ~~अथवा~~ 2  
 2) अपने अधिकार को न लौटाने का  
 हानि ले ~~अथवा~~ 2  
 मेरे न ~~अथवा~~ 2 का लाना है  
 माल का 11 T. P. ~~अथवा~~ 2  
 हमारे न ~~अथवा~~ 2 युवक का  
 माल नाले ~~अथवा~~ 2 का नाले  
 है कि अधिकार 1-1 के ~~अथवा~~ 2 का  
 अधिकार को अधिकार 2-2 का नाले  
 न ~~अथवा~~ 2 ~~अथवा~~ 2 विषय का  
 1) ~~अथवा~~ 2 का नाले का नाले  
 2) ~~अथवा~~ 2 का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का 2  
 3) का नाले का नाले का नाले का 2  
 4) का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का 2  
 का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का  
 का नाले का नाले का नाले का

दस्तावेज 116 T. P. का है मालिक का नाम है

दस्तावेज का क्रमांक है 2 के नीचे

दस्तावेज का मालिक है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री

श्री का नाम है श्री



प्रतिवादी सं. २ के विरुद्ध अधिकांश का रक

है कि निम्न राज (मछु वार स्या.) में वाद

पुनर्वाह का शोशाधिकार नहीं है क्योंकि निरापराध

आयात पर जो दावे का प्रमाण है वह

आरप है तथा इसमें 5.500 (मछु वार स्या.)

में योजित करना चाहिए तथा दावा वापस

को

वालीगण की ओर से उभरना किया

और शोशाधिकार पर्याप्त माना है।

इसके मामले में वाद पर न दाय 3

में कहा कि यह कि वाद का प्रमाण

वगैरह अखतयार लगाते अनुलेख (अ) यथागत

दुकान का रक वही कि निरापराध 304500 रुपये

तथा अनुलेख (क) रु 071250 रुपये कुल

116250 रुपये पर कायम किया जाता है तथा

ज्यापभुक्त निपामुखार अलग किया जाता है।

प्रतिवादी सं. २ ने अपने अकावलायत

दाय 13 में गणना प्रमाणिकता व आरप से

कीस कायकर निवादि दुमान न कीमत

रु 500000 (पांच लाख) रुपये का

प्रतिवादी सं. 1 ने वाद पर न दाय

13 का अर्थ उभरना नहीं किया है।

कि पीएलएन में विमान से पैसे न  
 कीमत बढ़ाकर एक लाख रुपये या उससे  
 कम नहीं है। अनुबंध बंधन से यह प्रमाण  
 है वह कि पीएलएन में प्रमाण नहीं है।  
 प्रमाण को इस तरह या आधार नहीं दिया है  
 कि मूल्यवत् सिद्ध जहाँ, कोई अनुबंध या  
 एक मात्र अनुबंध अथवा दोनों अनुबंध  
 का संयोजन लेकर प्रमाण नहीं कर  
 सकते हैं।

Civil Appeal 9051-9052/18 (SLP

CC/740 4225-4276/17 ओर माल अन्वयक V

विमानदाता राज्य SC निर्णय दिनांक

12-10-10 में the pecuniary jurisdiction  
 of a TSEC which at the time of filing  
 of the suit was Rs 25000, was raised  
 from Rs 25000 to Rs 1 lakh with effect  
 7.12.05 vide Uttar Pradesh Civil Courts  
 (Amendment) Act 2015 का धारा-4(1)

धर्म विधि और निर्णय कि कि

अथवा संयोजन अनुबंध मात्र और (1)

एवं TSEC कोर में 1 लाख रुपये

तक के विमान विजे को से से

आदिग आग म माउ मपये सेका है

आग कए बिज म छुवाए बिम्य गरा  
म छुवाए अपर बिम्य गरा कय मे

पैकि है नव मे इ आपदि के आपने

अने 5500 मे मेका हिम्य गना

बेगा पर न आपदि के बाव नूद न मेका

गिय आग निरलाग अलग अदि क

विदिग न के बेगा पर

पर नूद माके मे के आदिग सीगारिय

न वीम म माउ मपये से आदिग है

नव अदिग = 2 न अदिग मे आपदि दन

अलग अलग है कए परमि आग

पुकि - पुन न के है लय म छुवाए

अन बिम्य गरा न सेगारिय गारिय

न के बेका है

अदिग के बिदिग अदिग न अलग

AR 2004 SC 100 के काय न छुवाए

वि अदिग से बिदिग अलग pleading

न माग न के हिम्य गरा सगल है आग

वाट हेतु न के बेने न वाट निरलाग गला

मरुतु मासमे मे अनिवचन म सुखसुखे  
 वि वि वागि दुमन प्राप्ति मे १ मे विद्यमे पर  
 न उलने विद्या न वी रीत्य अथ  
 शिवाय सं - २ मे विद्या अथ  
 आचिभ्य व अगुक्ति मे सामेदा वनाय  
 कादाय का रीत्य मे अपविपरौ वी  
 अत्र न मयोच्ये नीरीय यथा  
 व विद्या वादिक वेना काविदी  
 शिवाय सं - २ म प्राप्ति अदा  
 न कावि दी प्रविदी सं १ क २  
 दोतो या मेद रत निरव मेव  
 विद्या वादीय मे अय न वी  
 अ २ हे हे कावि शिवाय - २ न  
 विदी है विद्य शिवाय अदा मय  
 हे मे अथ कावि प्राप्ति पुन वर  
 या अय अथ ये न वी वे मरुतु  
 वादि अथ आव(०) एवावा (०) (०) T. ३.  
 अ व मे अगुक्ति अरव व डेय  
 हे मे नीतपुदाय है अथ अथ म  
 अ २ काय काव हे म वी हे

~~सन्तान~~ ~~तत्पुत्र~~ ~~मातुले~~ ~~ने~~ ~~नदयु~~ ~~म~~

~~वैश्या~~ ~~तत्पुत्र~~ ~~वै~~

Laxman Bapu Besud V Sudhakar Nana

Sahab Jawale Bombay HC dt. 5.8.1957

~~श~~ ~~अभिनेत~~ ~~मा~~ ~~अथ~~ ~~वि~~ ~~विश्वेश्वर~~

~~महाशय~~ ~~त~~ ~~वैश्या~~ ~~ने~~ ~~सुभाषचन्द्र~~

~~वैश्या~~ ~~से~~ ~~साहित्य~~ ~~मन्त्र~~ ~~विभाग~~ ~~वा~~

~~विश्वेश्वर~~ ~~है~~ ~~रह~~ ~~सहकारिता~~ ~~में~~ ~~उत्तम~~ ~~पुत्र~~

~~माता~~ ~~तरी~~ ~~उत्तम~~ ~~सुभाषचन्द्र~~

~~सुभाषचन्द्र~~ ~~मातुले~~ ~~से~~ ~~वैश्या~~ ~~श्री~~

~~सुभाषचन्द्र~~ ~~वैश्या~~ ~~के~~ ~~वैश्या~~ ~~महाशय~~ ~~श्री~~

~~विश्वेश्वर~~ ~~के~~ ~~वैश्या~~ ~~श्री~~ ~~अभिनेत~~

~~सुभाषचन्द्र~~ ~~वैश्या~~ ~~के~~ ~~सुभाषचन्द्र~~ ~~के~~ ~~श्री~~

~~अभिनेत~~ ~~सुभाषचन्द्र~~ ~~वैश्या~~ ~~श्री~~ ~~आगे~~ ~~सुभाष~~

~~से~~ ~~सुभाषचन्द्र~~ ~~मन्त्र~~ ~~के~~ ~~मातुले~~ ~~वै~~

~~मातुले~~ ~~वैश्या~~ ~~पद~~ ~~विश्वेश्वर~~ ~~वैश्या~~ ~~श्री~~

~~विश्वेश्वर~~ ~~वैश्या~~ ~~म~~ ~~सुभाषचन्द्र~~ ~~वैश्या~~

~~अभिनेत~~ ~~वैश्या~~ ~~मन्त्र~~ ~~के~~ ~~मातुले~~ ~~वैश्या~~

~~वैश्या~~ ~~के~~ ~~वैश्या~~ ~~के~~ ~~मातुले~~ ~~वैश्या~~

~~सुभाषचन्द्र~~ ~~वैश्या~~ ~~सुभाषचन्द्र~~ ~~के~~ ~~वैश्या~~ ~~वैश्या~~

~~मातुले~~ ~~वैश्या~~ ~~के~~ ~~मातुले~~ ~~वैश्या~~ ~~वैश्या~~

यस गणना है जो नवीन व 2 न कर है।  
 अधिनियम सं. 2 ने भाषित करने के  
 कारण वह आगे नहीं हुआ है।  
 अपने अन्तिम रूप से सुरू न कर  
 उभारने के लिए कामों DW, ने अपनी  
 जी ई में कार्यगत के भाषित करने  
 मान लिए हैं। इसी लिए अधिनियम  
 सं 1 के मात गणना सुरू लिए न  
 सुरू न कर न कर है न कर  
 में लागू नहीं के न कर

(2010) SCC R 303 SC Kanwar

Dewan V Rashmi Khanna न कर के

प्रकार वह न कर न कर न कर  
 वलन के न कर सं 1 में न कर  
 लिए न कर न कर न कर  
 वह न कर न कर न कर न कर  
 इस न कर न कर न कर  
 प्रकृत मामले में न कर न कर  
 न कर न कर न कर न कर न कर  
 न कर न कर न कर न कर न कर  
 न कर न कर न कर न कर न कर  
 न कर न कर न कर न कर न कर

~~अने वाढीव एमआरटी मासिक खर्च~~  
~~अने विलंबे विलंबे विलंबे अने विलंबे~~  
~~द्वारा माना है। एन तका मे अक्षय~~  
~~से 2 गायने न आक्षय नही है~~  
~~इसमे अक्षय अने मासिक खर्च~~  
~~से पूर्ण लागते है कि खर्च अक्षय~~  
~~न पर अक्षय है अने विलंब - 2~~  
~~अक्षय अक्षय अक्षय है। कोई वाढीव~~  
~~खर्च अक्षय अक्षय मा लागते है।~~  
~~अने अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय~~  
~~न अक्षय नही है अक्षय - 2 ने अक्षय~~  
~~न है कि विलंबे मासिक है~~  
~~अने अक्षय के अक्षय अक्षय~~  
~~न है विलंबे अक्षय अक्षय~~  
~~न अक्षय के अक्षय अक्षय के~~  
~~अक्षय न अक्षय अक्षय अक्षय~~  
~~अक्षय नही है।~~

SA 35/22 Shakti Singh V Meersing

dt. 5 may 2022 न अक्षय अक्षय

~~न अक्षय न है कि अक्षय अक्षय~~  
~~अक्षय अक्षय अक्षय अक्षय~~

इस समय के काल में आर्य नर होते थे

साल मिलान काल समय)

प्रजा मानने से कालिका निरवकाश थे

वालावाल न मरवाला है वाहियात न मेरे

विवाही विवाही प्रथम से मेरे शिकार

ध-2 से नही है इन्हें आमतौर सुखीय

मैंने देखा है, जो इ आर्य पराक्रम सार

हैं आर्य मेरे वाहियात में आर्य सभ

में नही है, जो इ आर्य पराक्रम सार

मैं नही है, जो इ आर्य पराक्रम सार

को आर्य ली विवाही कालिका शिकार

ध-2 का कोई दिन नही साक्षात्

लाना है अरु नही नरु मानने से

रुतु व मीरिपि नरु मातृ - धी वरु

ध

अपने से बरु धि-5 कालिका

ने लारु अरु आर्य कालिका कालिका

बाल मेरे नरु अरु अरु - धि-5 नरु धि-5

नरु धि-5



निर्यात किंड सं. 1 का निर्यात 1972 के अधिनियम के अन्तर्गत  
 उपरोक्त निर्यात किंड सं. 1 यह पूर्ण कारिण है  
 कि निर्यात - विचारित प्रमाण के स्वतंत्र है  
 और निर्यात सं. 2 का प्रमाण प्रमाण का आधार  
 न तो इस वारे और न ही प्रमाण वाद 786/15  
 में उसे मालिक माना गया है। निर्यात 1972 व  
 निर्यात सं. 1 के बीच वास्तविक मन्तव्य  
 और निर्यात के संबंध है। यह निर्यात  
 का वद पर कोई विवाद नहीं है निर्यात मण  
 के अधिनियम 13 सन् 1972 में निर्यात का  
 है। निर्यात सं. 2 ने भी निर्यात के  
 मन्तव्य वाद स्वतंत्र निर्यात है। निर्यात सं. 1 व  
 निर्यात सं. 2 के मन्तव्य अधिनियम व्यवसायिक  
 लाइसेंस का कारण है। निर्यात सं. 1 ने माना  
 कि अपने निर्यात सं. 2 को निर्यात कर  
 करने में निर्यात के भी और निर्यात  
 सं. 2 ने स्वतंत्र निर्यात कि अपने  
 कोई निर्यात नहीं किया है। निर्यात सं. 2  
 ने निर्यात न देकर और निर्यात  
 कर का देकर निर्यात को निर्यात सं. 1  
 में ही निर्यात में देकर निर्यात को

दादा वाराणसी आसपास बने योग्य हैं।  
 प्रसिद्धि से 1 व 2 दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं।  
 डिस्ट्रिक्ट वरद किराया दुमन से खेदवम  
 बने योग्य हैं तथा वारिष्ठ किराया वम  
 हकी इस्तेमाल युक्ति-युक्त माने वाराणसी  
 को प्रदान कले की डिस्ट्रिक्ट हैं।  
 वाराणसी ने 20,000 रुपये हकी  
 इस्तेमाल मोगा है परन्तु अब तय के  
 कारण अपेक्षा सुरू नहीं है। इलहाबाद  
 से हकी इस्तेमाल में वरद 10,000  
 रुपये प्रसिद्धि की दर से प्रायः मोगे  
 आधिकारी हैं। वाराणसी ने वाराणसी में वरद  
 20,000 मोगा है परन्तु यह खूब  
 नहीं छिप सि अब दुमन या वाराणसी  
 दर मोगे वम से आधिक है यथापि  
 मोगे किराया नाम 1000 वारिष्ठ किराये  
 परन्तु वरद मोगे वम नहीं है और  
 वाराणसी नहीं इलहाबाद वम है। वाराणसी  
 दादा वाराणसी उपरोक्त के अनुसार  
 निरवधि बने योग्य हैं।

वादी/शर्मा का महावाद से 29/15 प्रतिवादी/शर्मा के

विषय सत्य आकार किता गाता है प्रतिवादी  
सं. 2 और प्रतिवादी सं. 1 को निर्दिष्ट  
किता गाता है कि वे वादपत्र में वादी/शर्मा

शर्मा का कलम और वे गाते दोड़कर  
उलट वास्तविक अहंतात्मक वादी/शर्मा को  
प्रदान कर के अत्याचार गीत अत्याचार कर  
कलम शर्मा करने के आदेश/धर्मों।

वकाय किताप तिथि 1.1.14 से 30.8.15 तक  
का मुं. 71250 रुपये वादी/शर्मा को अदा करें

व कलम हरि कलम/दौरान वादी  
शर्मा दल तिथि 5.10.15 से वास्तविक

कलम 42वम तक की निधि तक कुं  
10000 रुपये प्रतिमाह में 9 से वादी/शर्मा  
को अदा करें।

तिथि 4.9.2023

*Handwritten signature and date:*  
4/9/2023

*Signature and date:*  
4/9/2023

*Signature and name:*  
UP6449

उपरोक्त निर्णय व आदेश में कलम हरि कलम/दौरान वादी/शर्मा  
व निर्दिष्ट कर आज खुले व्या. में उदघोषित किता/शर्मा  
तिथि 4.9.2023

*Signature and date:*  
4/9/2023  
UP6449

